न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 08 / 2025

तारीख दायर–28 / 05 / 2025

तारीख निर्णय–27.02.2026

1. श्री मिठालाल पिता भेरा ढोली निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
2. श्री गणेश पिता भेरा ढोली निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
3. श्रीमती कुश्या उर्फ कुसुमलता पत्नी केलाश ढोली निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

........वादीगण

बनाम

1. श्रीमती कला पत्नी बाबूलाल ढोली निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर। हाल मुकाम गणेश चौक सुपर मार्केट की गली बांसी।
2. भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

...........प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्कर लाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा कालीभीत पटवार क्षेत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 38 व पुराना 25 के आराजी नम्बर 1081 / 52 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादीगणों एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगणों द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीगणों द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान

अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगणों का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। मौजा कालीभीत पटवार क्षेत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 38 व पुराना 25 के आराजी नम्बर 1081/52 रकबा 0.1188 हैक्टेयर,का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिक्री

1. श्री मिठालाल पिता भेरा ढोली निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
2. श्री गणेश पिता भेरा ढोली निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।
3. श्रीमती कुश्या उर्फ कुसुमलता पत्नी केलाश ढोली निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर।

........वादीगण

बनाम

1 श्रीमती कला पत्नी बाबूलाल ढोली निवासी कालीभीत तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर। हाल मुकाम गणेश चौक सुपर मार्केट की गली बांसी।

2 भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया।

..........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्कर लाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 27.02.2026.को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा कालीभीत पटवार क्षेत्र कालीभीत तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 38 व पुराना 25 के आराजी नम्बर 1081/52 रकबा 0.1188 हैक्टेयर, का पक्षकारान के अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता की दोनो पक्षकारों के मध्य बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड़ अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)